



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-०१, सेक्टर-के०पी०-०४, ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)।

website: www.greaternoidaauthority.in email id: authority@gnida.in

पत्रांक-जल/२०२०/३६५०

दिनांक ०३/११/२०२०


सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक सप्ताह ग्रेटर नौएडा के सेक्टरों की "जल अदालत" लगाकर सेक्टर की पानी के बिल से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का निस्तारण उसी कार्यदिवस में सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को प्रातः १०:०० से दोपहर १२:०० बजे तक "जल अदालत" का आयोजन करते हुए पानी के बिल से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जायेगा तथा इसका आयोजन प्राधिकरण कार्यालय के भूतल पर स्थित हॉल में किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में द्वितीय चरण में औद्योगिक ईकाइयों एवं आवासीय सेक्टरों के आवंटियों हेतु लगाये जाने वाले जल अदालत के संशोधित रोस्टर का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	सेक्टर का नाम, जिस हेतु जल अदालत का आयोजन किया जाना है।	दिनांक	सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का नाम, जिनके द्वारा प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित है।
1	औद्योगिक सेक्टर सेक्टर-ईकोटेक-१२, ईकोटेक-१, ईकोटेक-१ एक्सटेन्शन, ईकोटेक-१ एक्सटेन्शन-१, ईकोटेक-६, ७, ८, ईकोटेक-३ एवं टॉय सिटी, संस्थागत ग्रीन (बी०जेड०पी०) एवं सेक्टर-१६ (औद्योगिक)	०५.११.२०२०	१. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) २. सम्बन्धित सिविल डिवीजन द्वारा नामित प्रतिनिधि ३. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) ४. प्रबन्धक (सिस्टम) ५. लेखाकार (जल)
2	औद्योगिक सेक्टर	१२.११.२०२०	स्थगित
3	आवासीय सेक्टर सेक्टर-अल्फा-१, २, गामा-१, २, बीटा-१, २, डेल्टा-१, २, ३	१९.११.२०२०	१. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) २. सम्बन्धित सिविल डिवीजन द्वारा नामित प्रतिनिधि ३. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) ४. प्रबन्धक (सिस्टम) ५. लेखाकार (जल)
4	आवासीय सेक्टर पी-१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, चाई-फाई	२६.११.२०२०	१. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) २. सम्बन्धित सिविल डिवीजन द्वारा नामित प्रतिनिधि ३. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) ४. प्रबन्धक (सिस्टम) ५. लेखाकार (जल)
5	आवासीय सेक्टर ईटा-१, २, ओमीक्रॉन-१, १ए, २, ३, जू-१, २, ३	०३.१२.२०२०	१. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) २. सम्बन्धित सिविल डिवीजन द्वारा नामित प्रतिनिधि ३. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) ४. प्रबन्धक (सिस्टम) ५. लेखाकार (जल)
6	आवासीय सेक्टर म्यू, म्यू-१, २, सेक्टर-३२, ३३, ३६, ३७, सिग्मा-१, २, ३, ४	१०.१२.२०२०	१. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) २. सम्बन्धित सिविल डिवीजन द्वारा नामित प्रतिनिधि ३. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) ४. प्रबन्धक (सिस्टम) ५. लेखाकार (जल)
7	आवासीय सेक्टर सेक्टर-२, ३, १०, १२, स्वर्णनगरी, के०पी०-४, जीटा-१, के०पी०-५	१७.१२.२०२०	१. वरिष्ठ प्रबन्धक (जल) २. सम्बन्धित सिविल डिवीजन द्वारा नामित प्रतिनिधि ३. वरिष्ठ प्रबन्धक (नियोजन) ४. प्रबन्धक (सिस्टम) ५. लेखाकार (जल)

अतः औद्योगिक ईकाइयों एवं आवासीय सेक्टरों के आवंटियों से अपेक्षा की जाती है कि रोस्टर के अनुसार जल अदालत में उक्त नियत तिथियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत कराये। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उक्त रोस्टर के अनुसार सुसंगत सूचनाओं के साथ जल अदालत में निर्धारित समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।


(दीप चन्द्र)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी